न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।
उपस्थितः अनमोल पाल, एच.जे.एस.
सत्र परीक्षण संख्या — **1076 सन 2024**
राज्य **बनाम** रमाशंकर हरिजन उर्फ मुसई व 03 अन्य

मु0अ0सं0— **178** सन **2018**
धारा—323, 504, 506, 308 भा0दं0सं0
थाना—चील्ह, जिला—मीरजापुर।

आरोप

मैं, अनमोल पाल, सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर आप अभियुक्तगण **मोहन, रमाशंकर हरिजन उर्फ मुसई, रामाश्रय उर्फ रामा** व **रामअचल** को निम्न आरोपों से आरोपित करता हूँ —

1. यह कि दिनांक 10.07.2018 को समय सुबह 06 बजे बहदस्थान पचेवरा घाट, क्षेत्रान्तर्गत थाना चील्ह, जनपद मीरजापुर में आप लोगों ने साशय वादी मुकदमा के भतीजे पिन्टू कुमार यादव को लाठी डण्डा व बेल्चा से मार पीटकर साधारण स्वेच्छया उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया जो भा0दं0संहिता की धारा 323 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा के भतीजे पिन्टू कुमार यादव को गाली गुप्ता देकर अपमानित किया जिससे ऐसे अपमानित व्यक्ति के प्रकोपित होने पर लोकशान्ति भंग होने की सम्भावना उत्पन्न हुई। इस प्रकार आप लोगों द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया जो भा0दं0सं0 की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा के भतीजे पिन्टू कुमार यादव को पुनः मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया जो भा0दं0सं0 की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप रमाशंकर हरिजन उर्फ मुसई, रामाश्रय उर्फ रामा व रामअचल द्वारा साशय वादी मुकदमा के भतीजे पिन्टू कुमार यादव को लाठी डण्डा व बेल्चा से मारा पीटा गया, जिससे पिन्टू कुमार यादव के सिर में गंभीर चोटें आयी। यदि इन चोटों से पिन्टू कुमार यादव की मृत्यु हो जाती तो आप लोग हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते। इस प्रकार आप लोगों द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया जो भा0दं0सं0 की धारा 308 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक 30.08.2024

(अनमोल पाल)
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
ID No.: UP1880

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया।

दिनांक 30.08.2024

(अनमोल पाल)
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
ID No.: UP1880

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

सत्र परीक्षण संख्या **— 1076 सन 2024**

राज्य **बनाम** रमाशंकर हरिजन उर्फ मुसई व 03 अन्य

मु0अ0सं0— **178** सन **2018**
धारा—323, 504, 506, 308 भा0दं0सं0
थाना—चील्ह, जिला—मीरजापुर।

30.08.2024

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर अभियुक्तगण मोहन, रमाशंकर हरिजन उर्फ मुसई, रामाश्रय उर्फ रामा व रामअचल व्यक्तिगत रुप से मय अधिवक्ता उपस्थित।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323/34, 504, 506, 308/34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार अभियुक्तगण मोहन, रमाशंकर हरिजन उर्फ मुसई, रामाश्रय उर्फ रामा व रामअचल के विरूद्ध धारा 323/34, 504, 506, 308/34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 25.09.2024 को पेश हो। नियत तिथि के लिए साक्षीगण जरिए समन तलब हों।

सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।